भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-101
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोजगार के अवसर

101. प्रो॰ सौगत रायः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोविड-19 के कारण राज्य/क्षेत्र-वार रोजगार के कितने अवसर छिन गए है;
(ख) गरीब कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, भोजन आवास सुनिश्चित किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ) कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों का सामना करने के लिए पूर्णतया तैयार है सरकार अनेक कदम उठा रही है। आत्मनिर्भर भारत युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यावसायिक जनसांख्यिकी एवं मांग पर ध्यान केंद्रीत करता है।

भारत सरकार ने 20 लाख करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने बेरोजगारी को कम करने और देश में रोजगार अवसर पैदा करने में मदद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की हिमायत की है।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) प्रारंभ की है। उपायों का उद्देश्य निर्धन से निर्धनतय तक हाथों में भोजन एवं धन को रखना है ताकि उन्हें आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान तीन माह के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के निकट कार्य में सहायता के लिए कौशल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत से 6 राज्यो के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने तथा अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्या का सघन एवं संकेन्द्रित कार्यान्वयन शामिल हैं।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से उनका व्यापार आरंभ करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

*****